भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2500
बुधवार, 17 मार्च, 2021/26 फाल्गुन, 1942 (शक)

अनिवासी भारतीयों में बेरोजगारी

2500. श्री मो. नदीमुल हकः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विदेशों में अपना रोजगार गंवाने के बाद देश लौटने वाले अनिवासी भारतीयों की संख्या कितनी है, गत तीन वर्षों का राज्य-वार डाटा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें देश में रोजगार ढूढंने में सक्षम बनाने के लिए कोई योजना शुरू की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने उनके फायदे के लिए कोई बेरोजगारी बीमा कार्यान्वित किया है; और

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): वन्दे मातरम मिशन (वीबीएम) के अंतर्गत देश में लौटने वाले कुशल कार्यबल का ड़ाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से, नागर विमानन मंत्रालय (एमसीए) तथा विदेश मंत्रालय (एमईए) की भागीदारी से कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने रोजगार पहल हेतु एसडब्ल्यूएडीईएस (रोजगार सहायता हेतु कुशल कामगार आगमन ड़ाटाबेस) प्रारंभ किया है। इस पहल के तहत, लौटने वाले प्रवासियों के कौशल एवं अनुभव पर आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। लौटने वाले नागरिकों को एक ऑनलाइन एसडब्ल्यूएडीईएस कौशल कार्ड भरे जाने की आवश्यकता होती है जिसमें कार्य क्षेत्र से संबंधित ब्यौरे, रोजगार पदवी, रोजगार एवं अनुभव के वर्ष शामिल होते हैं।

28 फरवरी, 2021 को, 30,500 से अधिक नागरिकों ने एसडब्ल्यूएडीईएस पर पंजीकरण किया है। शीर्ष देश, जहां से नागरिक लौट रहे हैं, वे हैं, यूएई, ओमान, कतर, सऊदी अरबीया एवं कुवैत। शीर्ष क्षेत्र हैं, निर्माण, तेल एवं गैस, पर्यटन एवं आतिथ्य, स्वचलन, प्रबंधन एवं उद्यमशीलता एवं व्यावसायिक। शीर्ष ग्रहणकारी भारतीय राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक।

सुविधा सेवा रोजगार अवसरों हेतु, एसडब्ल्यूएडीईएस पंजीकरणों के ब्यौरे कौशल भारत के असीम (आत्मनिर्भर कौशल कर्मचारी नियोक्ता मैपिंग) पोर्टल से एकीकृत किए गए हैं। वर्तमान में, 1500+ नियोक्ता असीम पोर्टल पर पंजीकृत हैं तथा उन्होंने भारत में 8.5 लाख कर्मचारियों से अधिक के लिए मांग भेजी है। एसडब्ल्यूएडीईएस अभ्यर्थियों हेतु विशिष्ट आऊटरीच भी नियोक्ताओं के साथ असीम के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं।

(घ) एवं (ड.) प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) एक अनिवार्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य ईसीआर देशों में रोजगार हेतु विदेश जाने वाले उत्प्रवासन जांच आवश्यकता (ईसीआर) श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भारतीय प्रवासी कामगारों के हितों की सुरक्षा करना है। योजना 2017 में संशोधित की गई थी। यह योजना दुर्घटना से मृत्यु/स्थायी अपंगता की स्थिति में 275 रु. एवं 375 रु. के बीमा प्रीमियम पर क्रमशः दो एवं तीन वर्षों की अवधि के लिए 10 लाख रु. का बीमा प्रदान करती है। संशोधित योजना को पासपोर्ट श्रेणी पर ध्यान दिए बिना प्रवासी अधिनियम, 1983 की धारा 2 (O) के तहत कार्य श्रेणियों के तहत आने वाले विभिन्न व्यवसायों हेतु भी अनिवार्य बनाया गया है। पीबीबीवाई में नियोक्ता एवं स्थान पर ध्यान दिए बिना वैश्विक बीमा कवरेज भी शामिल है, ऑनलाइन नवीकरन हेतु सुविधा तथा दुर्घटनात्मक मृत्यु/स्थायी अपंगता के प्रमाणीकरण हेतु एक सरलीकरण प्रक्रिया शामिल है।

*****